(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

पुनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 213/2021 जीसीएमएस नम्बर :– 2021/704

1. पुरुषोतम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद उम्र 71 साल
2. रामविलास पुत्र श्री हनुमान प्रसाद उम्र 75 साल
3. प्रभा देवी पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार उम्र 74 साल
4. विजय कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार उम्र 56 साल
5. सजय कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार उम्र 53 साल
6. अजय कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार उम्र 47 साल
7. विनय कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार उम्र 46 साल
8. अमित कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार उम्र 53 साल जाती समस्त ब्राहमण निवासी श्यामपुरा (मैनाना) तह. बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

(4 से 7) जरिये मुख्त्यार खास विजय कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार

..................वादीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र थी श्योदत्त उम्र 45 साल
2. उमेश पुत्र श्योदत्त उम्र 40 साल
3. मंजू पुत्री श्योदन उम्र 42 साल
4. मीना पुत्री श्योदत्त उम्र 35 साल
5. ललिता पुत्री श्योदत्त उम्र 38 साल
6. लिछमी पुत्री श्योदत्त उम्र 33 साल
7. संजू पुत्री श्योदत्त उम्र 43 साल
8. अंजना पुत्री मदनलाल उम्र 42 साल
9. सुमन पुत्री मदन लाल उम्र 40 साल
10. राधाकृपण पुत्र मदन लाल उम्र 48 साल
11. शांति पत्नी मदनलाल उम्र 72 साल
12. उगंता पुत्री रुकमा राम उम्र 42 साल
13. उर्मिला पुत्री रुकमा राम उम्र 40 साल
14. कमलेश पुत्र रुकमा राम उम्र 50 साल
15. पुष्पा पुत्री रुकमा राम उम्र 38 साल
16. मनोज कुमार पुत्र रुकमा राम उम्र 40 साल
17. राजपाल पुत्र रुकमा राम उम्र 60 साल
18. संतोष पत्नी रुकमराम उम्र 80 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

19. कुमार पुत्र बजरंग लाल उम्र 50 साल
20. द्रोपदी पुत्री बजरंग लाल उम्र 55 साल
21. प्रवेन्द्र पुत्र बजरंग लाल उम्र 50 साल
22. विमला पुत्री बजरंग लाल उम्र 45 साल
23. वेदप्रकाश पुत्र बजरंग लाल उम्र 54 साल
24. विनोद पुत्र बजरंग लाल उम्र 65 साल
25. सुनीता पुत्री बजरंग लाल उम्र 50 साल
26. श्यामसुन्दर पुत्र बजरंग लाल उम्र 68 साल
27. सुशीला पुत्री बजरंग लाल उम्र 33 साल

(19 से 27) जाती ब्राहमण निवासी श्यामपुरा हाल पुरानी सब्जी मंडी के पास सिंघाना

28. नागेश दत्त पुत्र देवकी उम्र 45 साल
29. महेश पुत्र प्रहलाद उम्र 60 साल
30. बाबूलाल पुत्र महादेव उम्र 35 साल
31. मुकेश पुत्र महादेव उम्र 30 साल
32. संतरा पुत्री बिरजू राम उम्र 85 साल
33. सिलोचना पुत्री बिरजू राम उम्र 70 साल
34. विमल पुत्र महावीर उम्र 70 साल जाति समस्त ब्राह्मण निवासीगण श्यामपुरा मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 (फौत)

34/1. श्यामा देवी पत्नी विमल उम्र 65 साल
34/2. राकेश पुत्र विमल उम्र 35 साल
34/3. राजेश पुत्र विमज उम्र 40 साल
34/4. कान्ता पुत्री विमल उम्र 33 साल

35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू राज.
36. मजू देवी पत्नी महेश उम्र 55 साल जाति ब्राहमण निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
37. रामकला पत्नी बेधनाथ उम्र 70 साल जाति ब्राहमण निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....................**प्रतिवादीगण**

**दावा बाबतः– खाता विभाजन**

**–:निर्णयः–** **दिनांकः–** 2/12/2025

**(1). वादी का वादपत्र रहा किः–**

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:16 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाके ग्राम श्यामपुरा मैनाना स्थित कृषि भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता नं. 80 के खसरा नं 138 रकबा 0.82 है० के खातेदार वादी सं. 1 व 2 तथा सं. 3 लगायत 8 के पिता सुरेन्द्र कुमार दर्ज रिकार्ड काश्तकार है, खातेदार सुरेन्द्र

**उपखण्ड अधिकारी बुहाना**
**जिला झुन्झुनूं (राज.)**

कुमार का देहांत हो चूका है इसलिए उनके विधिक वरिशानो को आवश्यक पक्षकार बनाया है। इस भूमि के खातेदार चुकी, मणी, विद्या, श्रवणी ने अपना हिस्सा वादी गण के हक में हकत्याग कर पंजीकरण करवा दिया है जो संलग्न वाद पत्र है। जमाबंदी में दर्ज खातेदार श्योकरण नाम का कोई व्यक्ति वादी का भाई अर्थात हनुमान प्रसाद का पुत्र नहीं है जो सहवन से गलत दर्ज है जिसे हजफ किया जाना है, इस प्रकार उपरोक्त भूमि में वादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 भाग, वादी सं. 2 का हिस्सा 1/3 भाग व वादी सं. 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 भाग है जिस पर वे काबिज काश्त हैं।

इसके आलावा गाँव सैदपुर तह. बुहाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 91 के खसरा न० 123 रकबा 1.44 है० भूमि की खातेदारी वादी सं. 1 व 2 तथा सं. 3 लगायत 8 के पिता सुरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, जिसमे वादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 भाग, वादी सं. 2 का हिस्सा 1/3 भाग व वादी सं. 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 भाग है जिस पर वे काबिज काश्त हैं।

इसके आलावा गाँव सैदपुर तह. बुहाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 79 के खसरा न०110 रकबा 5.21 है०, खसरा न० 120 रकबा 1.18 है०, खसरा न० 121 रकबा 0.94 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 9.43 है० भूमि के खातेदार वादी सं. 1 व 2 तथा सं. 3 लगायत 8 के पिता सुरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, जिसमे वादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 भाग, वादी सं. 2 का हिस्सा 1/3 भाग व वादी सं. 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 भाग है जिस पर वे काबिज काश्त हैं शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों का है।

2. यह कि पक्षकारान ने अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि का मोके पर अपने अपने हिस्से के अनुसाए बाहमी बंटवारा कर के शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आरहे हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में खाता अभी शमालाती में ही दर्ज है जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है।
3. यह कि वादी गण अपने अपने हिस्से पर पेड़ पौधे आदि लगाकर व समतलिकरण कर के कृषि सुधार करना चाहते हैं लेकिन खाता राजस्व रिकार्ड में शामालाती में दर्ज होने से उनको ऐसा करने में भारी दिक्कत हो रही है जिसके लिए वादी गण ने गत सप्ताह सभी खातेदारों को विधिवत खाता विभाजन करवा लेने के लिए कहा लेकिन खातेदार संख्या में अधिक होने व सभी पक्षकार उपस्थित ना होने के कारण संभव नहीं हो सका इसलिये यह दावा न्यायालय श्रीमान में पेश किया जाना आवश्यक हुआ ।
4. यह की दावे के लिए आधार विवाद पैदा होने का कारण वादी गण की उपरोक्त खानेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में शमालाती में दर्ज होने के कारन कृषि सुधार करने में दिक्कत पैदा होने के कारन वादी गण ने गत सप्ताह सभी खातेदारों को विधिवत खाता विभाजन करवा लेने के लिए कहा लेकिन खातेदार संख्या में अधिक होने व सभी पक्षकार उपस्थित ना होने के कारण संभव नहीं हो सका जिसके बाद ... कारण पैदा हुआ जो दावा खाता विभाजन का अन्दर ...
5. यह कि विवादित भूमि ग्राम श्यामपुरा मैनाना व सैदपुर तह. बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान जी को सुनवाई का सर्वाधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:16 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि दावा पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है।
7. यह की दावे में नवीन रिकार्ड पेश किया है जिसके समर्थन में वादी सं. 4 का शपथ पत्र पेश है

**वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–**

(क). कि वाके ग्राम श्यामपुरा मैनाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 80 के खसरा न० 138 रकबा 0.82 है० में खातेदार चुकी, मणी, विद्या, श्रवणी द्वारा अपना हिस्सा वादी गण के हक्क में हकत्याग कर पंजीकरण करवा देने के बाद वादी सं. 1 को हिस्सा 1/3 भाग, वादी सं. 2 को हिस्सा 1/3 भाग व वादी सं. 3 लगायत 8 को हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाद घोषणा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

(ख). कि वाके ग्राम श्यामपुरा मैनाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 80 के खसरा न० 138 रकबा 0.82 है० में खातेदार श्योकरण नाम का कोई व्यक्ति ना होने से उसका नाम जमाबंदी से हजफ किया जा कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे ।

(ग). कि वाके ग्राम श्यामपुरा मैनाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 80 के खसरा न० 138 रकबा 0.82 है० में वादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 भाग, वादी सं. 2 का हिस्सा 1/3 भाग व बादी सं. 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 भाग व गाँव सैदपुर तह. बुहाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 91 के खसरा न० 123 रकबा 1.44 है० मे वादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 भाग, वादी सं. 2 का हिस्सा 1/3 भाग व वादी सं. 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 भाग का व गाँव सैदपुर तह. बुहाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 79 के खसरा न० 110 रकबा 5.21 है०, खसरा न० 120 रकबा 1.18 है०, खसरा न० 121 रकबा 0.94 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 9.43 है० भूमि में वादी सं. 1 का हिस्सा 1/30 भाग, वादी सं. 2 का हिस्सा 1/30 भाग व वादी सं. 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/30 भाग है जिस पर वे काबिज काश्त हैं के अनुसार खाता विभाजन किया जा कर खाता अलहेदा किया जावे व लगान भी अलग से कायम की जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 29 व 36 की और से श्री विकास कुमार एडवोकेट द्वारा वकालतनामा जवाबदावा मय प्रतिदावा दिनांक ...2025 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 05.05.2025 को लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:16 IST
Reason: SelfAttested

**प्रतिवादी संख्या 29 व 36 की ओर से जवाब दावा व प्रतिदावा निम्न प्रकार से पेश है–**

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. **यह कि दावे** का खण्ड नं0 1 स्वीकार है। विवादित भूमि में जवाब दाता का खसरा न0 109 **रकबा** 2.10 है0, खसरा न0 110 रकबा 5.21 है0 खसरा न0 120 रकबा 1.18 है0 खसरा नं0 121 रकबा 0.94 है0 कित्ता 4 कुल रकबा 9.43 है0 में जवाबदाता/प्रतिवादी सं०29 का **हिस्सा** 1/30 भाग व जवाबदाता सख्या 36 मंजू देवी का हिस्सा 34/943 भाग दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि दावे का खण्ड नं 2 स्वीकार है।
3. यह कि दावे का खण्ड नं 3 स्वीकार है।
4. यह कि दावे का खण्ड नं. 4 स्वीकार है।
5. यह कि दावे का खण्ड नं. 5 स्वीकार है।
6. यह कि दावे का खण्ड नं. 6 स्वीकार है।

अनुतोष का खण्ड क, ख, ग स्वीकार है। वाद वर्णित में जवाबदातागण संख्या 29 का हिस्सा 1/30 भाग व संख्या 36 का हिस्सा 34/943 भाग है जिसका भी वे खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। जिसके लिए प्रतिदावा अलग से जबाबदाता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

**प्रतिदावा बाबत खाता विभाजन**

यह कि वाके ग्राम सैदपुर स्थित खातेदारी कास्त की भूमि हाल खसरा नं. 109 रकबा 2.10 है0, खसरा नं0 110 रकबा 5.21 है0, खसरा न0 120 रकबा 1.18 है0 खसरा नं0 121 रकबा 9.94 है0 किता 4 कुल रकबा 9.43 है0 में प्रतिवादी संख्या 29 महेश पुत्र प्रहलाद का हिस्सा 1/18 भाग व प्रतिवादी संख्या 36 मंजू देवी पत्नी महेश कुमार का हिस्सा 34/943 भाग दर्ज रिकॉर्ड है जिसका खाता विभाजन किया जाकर खाता अलग किया जावे व लगान भी अलग से कायम की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.05.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 385 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2463 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:16 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, [illegible] प्राप्त करें पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय [illegible] के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर [illegible] जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम श्यामपुरा मैनाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 80[illegible] व वाके ग्राम सैदपुर के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

91, 79, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 29, 36 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

## –::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम श्यामपुरा मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज० स्थित भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 80 के खसरा न० 138 रकबा 0.82 है० में खातेदार चुकी, मणी, विद्या, श्रवणी द्वारा अपना हिस्सा वादी गण के हक में हकत्याग कर पंजीकरण करवा देने के बाद वादी सं. 1 को हिस्सा 1/3 भाग, वादी सं. 2 को हिस्सा 1/3 भाग व वादी सं. 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एंव खाता सं. 80 के खसरा न० 138 रकबा 0.82 है० में खातेदार श्योकरण नाम का कोई व्यक्ति ना होने से उसका नाम जमाबंदी से हजफ किया जाकर तथा गाँव सैदपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि के खाता सं. 91 के खसरा न० 123 रकबा 1.44 है० एवं खाता सं. 79 के खसरा न० 110 रकबा 5.21 है०, खसरा न० 120 रकबा 1.18 है०, खसरा न० 121 रकबा 0.94 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 9.43 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 29 व 36 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–17" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के बाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–17" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–17" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 2/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

( पूनम मीणा )
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–
पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 213 / 2021
जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 704

पुरुषोत्तम बनाम अशोक आदि

दावा बाबत – खाता विभाजन

–निर्णय–

वादीगण की ओर से श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 29 व 36 की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को श्री पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वादी ग्राम श्यामपुरा मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 80 के खसरा न० 138 रकबा 0.82 है० में खातेदार चुकी, मणी, विद्या, भरती द्वारा अपना हिस्सा वादी गण के हक में हकत्याग कर पंजीकरण करवा देने के बाद वादी सं. 1 को हिस्सा 1/3 भाग, वादी सं. 2 को हिस्सा 1/3 भाग व वादी सं. 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एंव खाता सं. 80 के खसरा न० 138 रकबा 0.82 है० में खातेदार श्योकरण नाम का कोई व्यक्ति ना होने से उसका नाम जमाबंदी से हजफ किया जाकर तथा गाँव सैदपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि के खाता सं. 91 के खसरा न० 123 रकबा 1.44 है० एवं खाता सं. 79 के खसरा न० 110 रकबा 5.21 है०, खसरा न० 120 रकबा 1.18 है०, खसरा न० 121 रकबा 0.94 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 9.43 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 29 व 36 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–17" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–17" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–17" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2.12.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:16 IST
Reason: SelfAttested

( पूनम मीणा )
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

आदेशानुसार दिनांक 15-1-22